सम्पादक के नाम

इसे जैन आतंकवाद कहा जाना चाहिए

धनगर समाज का जातिगत पेशा है पशुपालन। इस समाज के अतिरिक्त अनेक ग़रीब-किसान भेड़-बकरियाँ पालकर अपनी आजीविका चलाते हैं। भारत से पशुओं का निर्यात भी होता आया है। महाराष्ट्र सरकार ने इन गरीबों को शायद बेहतर मूल्य दिलाने के लिए पशु निर्यात के लिए विमान की व्यवस्था की। नागपुर से ऐसे पहले विमान को उड़ना था। नागपुर से इसलिए क्योंकि नागपुर को उड़ान का बंदरगाह बनाने की योजना दशकों पुरानी है। इससे विदर्भ के ग़रीब पशुपालकों को विशेष लाभ होता।

लेकिन जैन समाज (में से कुछ?) को यह मंजूर न था। किसी "अखिल जैन समाज" ने इस विमान का विरोध किया। पैसों से रसूखदार इस समाज के दबाव में आकर एक महती योजना जिसका उद्घाटन गडकरी-फडणवीस करने वाले थे, को रद्द कर दिया गया।

जैन समाज अपनी इस आतंकी हरकत के लिए तमाम कुतर्क दे रहा है। इसके पहले इस समाज के लोगों ने मध्य प्रदेश के कुपोषित बच्चों को सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन में अंडा दिए जाने पर रोक लगवा दी थी। तब भी जब यह बताने की ज़रूरत नहीं कि इस रईसों से भरे समाज के प्राय: सभी बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते।

राजस्थान के किसी शहर में मांस कारोबार पर रोक लगवाने का असंवैधानिक काम भी यह समाज करवा चुका है। मुम्बई-गुजरात में मकान किराए पर देने से लेकर बेचने तक, यहाँ तक कि इनके पड़ोस में कोई खुद के घर में मांस पकाए उस पर भी इनकी दादागिरी के किस्से आम हैं।

जैनियों को मांस नहीं खाना न खाएं। लेकिन पूरी दुनिया को अपनी तरह से चलाने की ज़िद करेंगे तो उन्हें सोचना पड़ेगा। अगर बाकी दुनिया के लोग भी ऐसी ही जिद कर लें तो?

शाकाहारी आतंकवाद मुर्दाबाद !

- हितेंद्र अनंत

10-12 वर्ष की आयु विवाह के लिए बालिग

आज 18 वर्ष की आयु विवाह के लिए बालिग मानी जाती है। पर भारत का रूढ़िवादी हिन्दू वर्ग 12 वर्ष की सहवास आयु पर ही अडिग था। 1860 में यह आयु 10 वर्ष थी। इसके 30 साल बाद 1891 में यह आयु 12 वर्ष की गयी। 34 साल तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने दिया गया। इसके बाद 1922 में तब की केंद्रीय विधान सभा में 13 वर्ष का बिल लाया गया। पर धर्म के ठेकेदारों के भारी विरोध के कारण वह पास ही नहीं हुआ। 1924 में हरी सिंह गौड़ ने बिल पेश किया। वह सहवास की आयु 14 वर्ष चाहते थे। इस बिल का सबसे ज्यादा विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था, जिसके लिए "चाँद" पत्रिका ने उनपर लानत भेजी थी। अंत में सिलेक्ट कमेटी ने 13 वर्ष पर सहमति दी और इस तरह 1925 में 34 वर्ष बाद 13 वर्ष की सहवास आयु का बिल पास हुआ था। 6 से 12 वर्ष की उम्र की बच्ची सेक्स का विरोध नहीं कर सकती थी उस स्थिति में तो और भी नहीं , जब उसके दिमाग में यह भरा जाता है कि पति उसका भगवान और मालिक है। पर ऐसी बच्चियों के साथ सेक्स करने के बाद उनकी शारीरिक हालत क्या होती थी, इसका रोंगटे खड़ा कर देने वाला वर्णन Katherine Mayo ने अपनी किताब "Mother India" में किया है कि किस तरह जांघ की हड्डी खिसक जाती थी, मांस लटक जाता था और कुछ तो अपाहिज तक हो जाती थीं। 6 और 7 वर्ष की पत्नियों में कई तो विवाह के तीन दिन बाद ही तड़प तड़प कर मर जाती थीं। स्त्रियों के लिए इतनी महान थी हिन्दू संस्कृति।

- कँवल भारती

भाजपा मुख्यमंत्रियों की मनमानी और तानाशाही....

(1) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक अध्यापिका उत्तरा पंत बहुगुणा के साथ जो अभद्रता दिखाई वह बेहद निंदनीय है, सत्ता का मद विवेक कैसे नष्ट कर देता है इसका ज्वलंत उदाहरण है यह घटना। अब कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी होकर बिना विभागीय अनुमति के वह जनता दरबार में पहुंची कैसे! तो क्या वह जनता से बाहर है? नेता जनता का सेवक होता है लेकिन उसके लिए कोई नियम कानून नहीं, जबकि एक परेशानहाल महिला, जो पचीस साल से एक ही दुर्गम स्थान पर नियुक्त थी, को अपनी फरियाद के लिए मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाने के लिए विभागीय अनुमति चाहिए थी। इस नियम को बदला जाना चाहिए। यह हिलटरशाही कानून है।

2. कल समाचार था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मान्यवर योगी आदित्यनाथ जी जल्दी ही विधानसभा में यह विधेयक लाने वाले हैं कि जो पांच बार विधायक बनेगा उसे सरकारी बंगला मुफ्त। गज़ब कानून बनाने जा रहे हैं योगी जी। अपना भविष्य तो सुरक्षित करने ही जा रहे हैं --दूसरों का भी करेंगे और इस विधेयक को सभी का समर्थन मिलेगा यह तय है। जनता के धन को लूटने में सभी पार्टियां एक-सी हैं -

3. वसुन्धरा राजे सिन्धिया ने विधेयक पारित करवाया कि मुख्यमंत्रियों को पदमुक्त होने के बाद आजीवन सरकारी बंगला, सपरिवार हवाई यात्राएं मुफ्त, जितने नौकर चाहें रखने की सुविधा, जिनमें प्रथम श्रेणी कर्मचारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होंगे----और भी कितनी ही प्रकार की सुविधाएं। भले ही वह गवर्नर बनें या राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति---वे सुविधाएं मिलती रहेंगीं। इसका विरोध एक भाजपा विधायक के अलावा किसी भी विधायक ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी मुख्यमंत्री थे और आगे भी बनेंगे ही---दूसरे भी किसी दल के बन सकते हैं।

देश लुट रहा है और जनता स्तब्ध है।

- रूप सिंह

मोदी सरकार ने अब रिकॉर्ड बना लिया

महिला असुरक्षा में विश्व मे नम्बर वन, कश्मीर में सर्वाधिक सेना की मौत और पत्थरबाजी, बैंकों से सबसे ज्यादा पैसा लेकर भागने का रिकार्ड, सर्वाधिक बैंक घाटा, पेट्रोलियम पदार्थों का सर्वाधिक प्राइस, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा ट्रेनें लेट, सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग के बाद अब डॉलर के मुकाबले रुपये का सबसे ज्यादा गिरावट, मुद्रा योजना फेल, डिजिटल इंडिया फेल, मेक इन इंडिया फेल, 100 स्मार्ट सिटी योजना फेल, नमामि गंगे योजना फेल, स्वच्छइंडिया योजना फेल, स्किलइंडिया योजना फेल। रिकार्ड पर रिकार्ड बन रहे हैं क्योंकि अच्छे दिन आ रहे हैं।

परन्तु, विडम्बना देखिए जिस देश की महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं वहां प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा है। जिस देश में सर्वाधिक 100 करोड़ हिन्दू आबादी है वहां, हिंदुओं के अस्तित्व को खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि, मेरा देश बदल रहा है।

आज देश के मोदी-भाजपा राज मे आसमान छूती मंहगाई , जमीन चूमता बाजार , पाताल की ओर जाता रुपया , दावानल सी बढ़ती बेरोजगारी और विश्व के समस्त रिकार्ड तोड़ने की ओर बढ़ता कार्पोरेट भृष्टाचार , इस सबके बावजूद भी अगर देश शान्त है तो इसका मतलब, या तो विपक्ष कमजोर है , या विपक्ष सरकारी सम्पत्तियों की इज्जत करता है , या फिर दंगाई स्वयं ही सत्ता पर बैठे हैं !!! वरना आज जो कुर्सियों पर बैठे हुए है कहीं वे विपक्ष मे होते तो उनके विपक्षकाल के पूर्व अनुभवों का आधार पर आंख मूंद कर यह कहा जा सकता है कि पिछले 4 सालों से अब तक अरबों रुपयों की सरकारी सम्पत्तियां तो नष्ट हो ही चुकी होती और उनके द्वारा प्रायोजित दंगों मे न जाने कितनी मासूम जाने भी जा चुकी होती !

- राजीव निगम

विश्वविद्यालयों की इन नियुक्तियों में "सकारात्मक कार्रवाई"

उत्तर प्रदेश स्थित कई बड़े विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, एसो। प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे पदों पर बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही हैं! इसे 'मेगा मनुवादी रिक्रुटमेंट ड्राइव' कह सकते हैं!

कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में हाल की इन नियुक्तियों की सूची देखने को मिली! समझ में आया, भाजपा-संघ परिवार हिंदी भाषी सूबों में सवर्ण जातियों की पहली पसंद क्यों बने हैं? लेकिन समाज में जिनकी आबादी 80 फीसदी है, उन समुदायों की पहली-दूसरी या तीसरी पसंद कौन हैं और आज वो कहां हैं?

विश्वविद्यालयों की इन नियुक्तियों में 'सकारात्मक कार्रवाई' यानी आरक्षण के उसूलों की धज्जियां उड़ाई गई हैं! पर सियासत, शासन-प्रशासन और शैक्षणिक सर्किल में सब कुछ खामोश ढंग से चल रहा है!

ऐसे अन्यायों पर समाज तो खलबला रहा है, पर इन समाजों का कथित राजनीतिक नेतृत्व अपने-अपने नये आरामगाहों(कुछ के पुराने आरामगाह छिन गये; बेचारों के साथ कितना 'अन्याय' हो गया!) में कैद है! अगले लोकसभा चुनाव के लिए समीकरण तलाशे जा रहे हैं! आखिर, लोग कहां जायेंगे, वोट तो उन्हें ही देंगे! विकल्प कहां है? भारतीय समाज का अस्सी फीसदी हिस्सा इसी बेबसी का शिकार है! मनुवादियों की 'ए-टीम' की कामयाबी का यही राज है!

- उर्मिलेश

तंत्र—मंत्र का धंधा और मोक्ष प्राप्ति की आस में हुई दिल्ली की 11 आत्महत्याएं

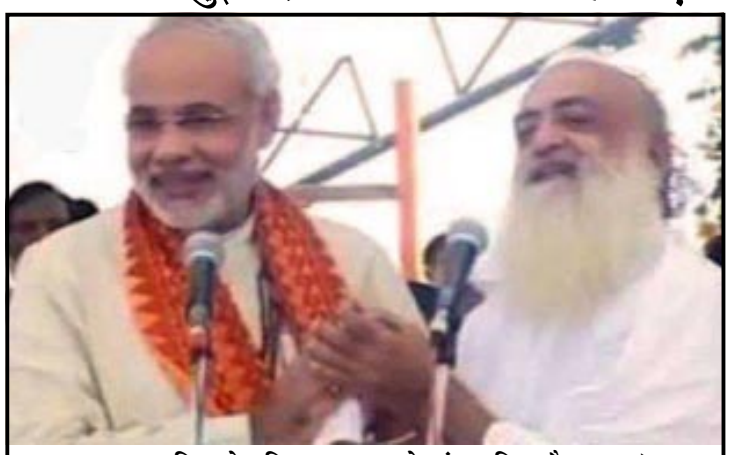

एक तान्त्रिक ने परिवार खाया : ये अंध भक्ति कौन लाया!

सुशील मानव का विश्लेषण

ताजा घटनाक्रम में 1 जुलाई की रात को दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगो ने तंत्र मंत्र के चक्कर में आत्महत्या कर ली है। उनके घर के एक छोटे से मंदिर के बगल से एक रजिस्टर बरामद हुआ है जिसमें 2015 से ही नोट्स लिखा जा रहा था। पुलिस का कहना है कि रजिस्टर में मौत का दिन, मौत का वक्त और मौत का तरीका साफ—साफ लिखा है। ताज्जुब ये कि परिवार ने लगभग वैसे ही आत्महत्या करके जान दिया जैसे कि रजिस्टर में लिखा है। आत्महत्या करने वाले परिवार ने मौत का रजिस्टर में लिख रखा था-

1. सभी लोग आंखों पर पट्टियां अच्छे से बांधेंगे। पट्टी ऐसे बंधे कि सिर्फ शून्य दिखे. इसके अलावा रस्सी के साथ सूती चुन्नी और साड़ी का इस्तेमाल करना होगा।
2. सात दिन बाद लगन और श्रद्धा से लगातार पूजा करनी होगी, अगर इस दौरान कोई घर में आए तो पूजा अगले दिन करनी होगी।
3. रविवार या गुरुवार के दिन को ही इस काम के लिए चुनें।
4. बेब्बे खड़ी नहीं हो सकती तो अलग कमरे में लेट सकती हैं।
5. परिवार के सभी सदस्यों की सोच एक जैसी होनी चाहिए, इसके बाद आगे के काम दृढ़ता से शुरू होंगे।
6. मद्धम रौशनी का प्रयोग ही करें।
7. हाथों को बांधनेवाली पट्टियां बच जाएं तो उन्हें आंखों पर डबल बांध लें।
8. मुंह पर पट्टी को भी रूमाल बांधकर डबल कर लें।
9. जितनी दृढ़ता और श्रद्धा दिखाओगे, फल उतना ही उचित मिलेगा।
10. रात 12 से 1 बजे के बीच क्रिया करनी है, और उससे पहले हवन करना है।

मौत के रजिस्टर में पहली इंट्री नवंबर 2017 की और आखिरी इंट्री 25 जून 2018 की है। रजिस्टर में लिखा था- सभी इच्छाओं की पूर्ति हो। जाहिर है ये आत्महत्यानुमा अनुष्ठान या तो किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए की गई है या फिर मोक्ष की इच्छा से। प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे ही समाज की कामना महात्मा गाँधी, भीमराव अंबेडकर और जवाहर लाल नेहरू जैसे राष्ट्रनिर्माताओं ने की थी?

देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जब वाराणसी प्रवास के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर गये और वहां वो पूजन कराने वाले ब्राह्मणों के पाँव छुए तो पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने उनकी सख्त आलोचना और प्रतिवाद किया। लेकिन आज के हालात बिल्कुल सामंती और कबीलाई हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नवरात्रियों का व्रत रखकर हिंदुत्ववादी मूढ़ता की अमेरिका तक ब्रांडिंग कर आते हैं।

प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से आशाराम और रामदेव जैसों के पैरों में गिर पड़ते हैं। मंदिर और श्मशान आज चुनावी मुद्दे बनते हैं। मुख्यमंत्री गाय के मूत का सेवन करता है। राष्ट्रीय पुरस्कार में एक घंटे खड़े न हो पाने वाला राष्ट्रपति मंदिर—मंदिर जाकर धक्के खा रहा है। ब्राह्मणवादी अपमान में उसे स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता दिख रहा है।

कैथल कोर्ट द्वारा मारुति मजदूर हुए बरी

कैथल (म.मो.) अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए हम मारुति मजदूर जब न्याय की गुहार लेकर मार्च 2013 में तत्कालीन उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के पास गए थे तो उसने हमें रोजी रोटी की मांग के बदले लाठी और मुकदमे सौगात में दिए और अपने आका मारुती प्रबन्धन को खुश कर दिया । कैथल में हमने 55 दिनों तक धरना दिया व 10 दिन अनशन भी किया लेकिन मंत्री जी ने हमारी बात सुनने से मना कर दिया फिर हमने जनता की मदद से उनके आवास के घेराव का एलान किया तो कैथल उपायुक्त ने धारा 144 लगा दी जिसका सहारा लेकर पुलिस ने धरने पर सो रहे 100 से ज्यादा साथियों को उठा लिया और उन पर कब्ज़ा करने, धारा 144 का उल्लंघन करने, रोड जाम करने,जान से मारने की धमकी व आर्म्स एक्ट जैसे मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया ।

तब से यानी 2013 से अब तक कोर्ट का खेल चलता रहा और न जाने किस तरह से मजदूरों को परेशान किया गया । इन केसों में हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार व बंगाल के साथी शामिल थे और उन्हें कभी महीने में 5 दिन तो कभी सप्ताह में 4 दिन कोर्ट में आना पड़ता था । बेरोजगारी के दौर में जो साथी किसी छोटी मोटी दुकान या शोरूम पर लगे थे उन्हें भी कई बार काम छोड़ना पड़ा । जो साथी दूर की स्टेट से आते थे उनके चार पांच दिन तो आने जाने में ही चले जाते । ऐसे में जज साहब ने कहा कि या तो अपने जुर्म का इकबाल करके जुर्माना देकर चले जाओ या केस को प्रतिदिन चलाने के बयान पर साइन करो । ऐसे में 85 साथी प्रतिदिन न आने की समस्या से निजात पाने के लिए जुर्माना देकर चले गए और क्रान्तिकारी संगठनों के साथियों जिनमे जन संघर्ष मंच हरियाणा,इंक़लाबी मजदूर केंद्र व मजदूर सहयोग केन्द्र के साथियों के साथ 12 मजदूरों ने ही ट्रायल फेस किया और अंतत: झूठे गवाह व् फर्जी मुकदमा कोर्ट के सामने निरस्त हो गया। एफआईआर करवाने वाले प्लाट मालिक को पता ही नही था कि उसने कभी कोई एफआईआर करवाई है उसके सादे पेपर पर लिये गये हस्ताक्षर को ही शिकायत का रूप दिया गया और अन्य गवाहों के फर्जी हस्ताक्षर करके गवाह बनाया गया।

आज कोर्ट ने मजदूरों की बेशक बरी कर दिया लेकिन ये वास्तव में झूठ की ही जीत हुई क्योकि संघर्ष की मिसाल मारुती मजदूरों को इस कदर परेशान किया गया कि वो संघर्ष से विमुख हो गए और बिना किये जुर्म का भी इकबाल कर जुर्माना भरकर केस से निकले। पांच साल की भागदौड़ और दिन भर कोर्ट में बैठना ही एक सजा थी इसलिए बरी होकर भी पांच साल की सजा झेली और इसमें सरकार और उसका तंत्र मजदूरों को संघर्ष से विमुख करने में एक हद तक सफल रहा । लेकिन जो साथी लड़ने वाले हैं वो जिंदगी भर संघर्ष करने को तैयार हैं ।